

न्यायालय:-साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी
जिला-अशोकनगर (म.प्र.)

दांडिक प्रकरण कं.-218/15
संस्थापित दिनांक-25.08.2015
Filling no-235103002642015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।अभियोजन
विरुद्ध
1- जितेन्द्र सिंह पुत्र छत्रपाल सिंह उम्र 32 साल निवासी - ग्राम कडराना चंदेरीआरोपी

-: निर्णय :-

(आज दिनांक 12.07.2017 को घोषित)

01- अभियुक्त के विरुद्ध धारा 294, 324, 506 भाग दो भा0द0वि0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि दिनांक 06.08.2015 को शाम करीब 6 बजे थाना चंदेरी अंतर्गत ग्राम कडराना में फरियादिया की बाखर के पास सार्वजनिक स्थान पर फरियादिया मेघा परमार को अश्लील गालियां देकर उसे तथा वहां उपस्थित अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादिया मेघा की कुल्हाड़ी से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादिया मेघा को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर क्षोभ कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02- प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि फरियादी/आहत एवं अभियुक्त के मध्य दिनांक **12.07.2017** को राजीनामा हो जाने से आरोपी जितेन्द्र को भा.द.वि की धारा 294, 506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त किया गया।

03- अभियोजन का पक्ष संक्षेप में है कि फरियादी/आहत मेघा ने अपने पति जयहिन्द परमार के साथ थाना चंदेरी में इस आशय की जुबानी रिपोर्ट लेख कराई कि वह तथा उसका देवर जितेन्द्र एक ही जगह रहते हैं बाखर अलग-अलग हैं। दिनांक 06.08.2015 को शाम करीब 6 बजे उसकी गाय जितेन्द्र की बाखर में जहा उसकी गाय बंधी थी उसके पास पहुँच गई। इसी बात पर जितेन्द्र बोला की अपनी गाय को बांधकर क्यों नहीं रखती, उसने कहा बांध लूंगी और चली गई, तभी जितेन्द्र उसे गन्दी-गन्दी गालियां देने लगा जो सुनकर उसे रंज हुआ, उसने गाली देने से

मना किया तभी जितेन्द्र ने उसे कुल्हाड़ी मारी दांयी जांघ में चोट व घाव होकर खून निकला, फिर 3-4 बैटे उल्टी कुल्हाड़ी करके उसे मारी जो उसके बांये पैर के घुटने तथा पीठ में मूंदी चोट आई है। मौके पर अतलबाई थी जिन्होंने उसे बचाया था। उसके पति जब चन्देरी से घर आये तब उसने उनको सारी बात बताई व साथ लेकर रिपोर्ट को आने लगी तो जितेन्द्र कहने लगा की रिपोर्ट की तो अवकी बार जान से खत्म कर दूंगा। पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। आरोपी को गिरफ्तार किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04— अभियुक्त को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढकर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध कोई तथ्य व परिस्थिति प्रकट न होने से अभियुक्त परीक्षण नहीं किया गया तथा अभियुक्त की ओर से बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05— प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :-

1.	क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 06.08.2015 को शाम करीब 6 बजे थाना चंदेरी अंतर्गत ग्राम कडराना में फरियादिया की बाखर के पास सार्वजनिक स्थान पर फरियादिया मेघा परमार की कुल्हाड़ी से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की ?
-----------	---

: : सकारण निष्कर्ष : :

06— अभियुक्त के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। फरियादी मेघा अ0सा01 ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह आरोपी को जानती है। घटना करीब 2 साल पहले की होकर शाम 6 बजे की है। घटना दिनांक को उसकी गाय जितेन्द्र की बाखर में जहां पर जितेन्द्र की गाय बंधी थी चली गई थी। इसी बात पर जितेन्द्र सिंह ने उससे कहा था कि अपनी गाय को बांधकर क्यों नहीं रखती हो, इसी बात को लेकर उसकी और जितेन्द्र की कहा सुनी हो गई थी और कहा सुनी में स्वयं गिर जाने से उसके दाएं पैर में पत्थर चुभ जाने से चोट आ गई थी और खून निकल आया था, उक्त कहा सुनी के संबंध में उसके द्वारा थाना चंदेरी में रिपोर्ट लेख कराई थी जो प्र.पी. 1 है। पुलिस घटना स्थल पर आई और मानचित्र तैयार किया जो प्र.पी. 2 है। पुलिस ने उसकी चोटों का सरकारी अस्पताल चंदेरी में इलाज कराया था और पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

07— अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात से इंकार किया कि जितेन्द्र ने उसको कुल्हाड़ी मारी थी दाहिनी जांघ में चोट व घाव होकर खून निकला । इस बात से इंकार किया कि जितेन्द्र ने 3-4 बेंटे उल्टी कुल्हाड़ी करके मारे जो मेरे बाएं पैर के घुटने तथा पीठ में मूंदी चोटे आई थी। इस बात से इंकार किया कि मौके पर अतलबाई भी थी जिन्होंने बीच बचाव कर उसे बचाया था। साक्षी को उसकी पुलिस रिपोर्ट प्र.पी.1 और पुलिस कथन प्र.पी. 3 का ए से ए भाग पढ़कर सुनाने पर साक्षी का कहना है कि ऐसी रिपोर्ट व कथन उसने पुलिस को नहीं दिया पुलिस ने कैसे लेखबद्ध कर लिया कारण नहीं बता सकता। इस बात को स्वीकार किया कि उसका आरोपी से स्वेच्छया राजीनामा हो गया है। इस बात से इंकार किया कि राजीनामा हो जाने के कारण आरोपी को बचाने के लिये न्यायालय में असत्य कथन कर रही है।

08— अभियोजन साक्षी जयहिन्द अ0सा02 ने उसके न्यायालयीन कथनो मे बताया कि वह आरोपी एवं फरियादी को जानता है, आरोपी उसका सगा भाई है एवं फरियादी उसकी पत्नी है। घटना के संबंध में उसकी पत्नी मेघा ने बताया था कि आरोपी जितेन्द्र से उसकी कहा सुनी हो गई थी जिसके संबंध में उसकी पत्नी मेघा ने थाना चंदेरी में रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी। उक्त साक्षी का कहना है कि उसकी पत्नी मेघा ने उसे यह बताया था कि कहा सुनी में स्वयं गिर जाने से उसे दाहिने पैर में चोट आ गई थी।

09— अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात से इंकार किया कि उसकी पत्नी मेघा ने उसे बताया था कि अभियुक्त जितेन्द्र द्वारा उसे जांघ में कुल्हाड़ी एवं उल्टे बेंटे की तरफ से 2-3 बार मारी थी जिससे उसकी पीठ, कमर में मूंदी चोटे आई थी। साक्षी जयहिन्द अ0सा02 को उसका पुलिस कथन प्र.पी. 4 का ए से ए भाग पढ़कर सुनाने पर साक्षी का कहना है कि ऐसा कथन उसने पुलिस को नहीं दिया पुलिस ने कैसे लेखबद्ध कर लिया कारण नहीं बता सकता।

10— अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के उपरोक्तानुसार किये गये विशलेषण के आधार पर स्वयं फरियादी मेघाबाई एवं साक्षी जयहिन्द द्वारा अभियोजन कहानी का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया है बल्कि उक्त साक्षीगण ने उनके न्यायालयीन कथनो में व्यक्त किया है कि कहा सुनी में स्वयं गिरने से फरियादी मेघाबाई को दाहिने पैर में पत्थर चुभने से चोट आ गई थी। आरोपी ने उसके साथ कोई घटना कारित नहीं की। अतः अभियोजन यह युक्ति युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि दिनांक 06.08.2015 को शाम करीब 6 बजे थाना चंदेरी अंतर्गत ग्राम कडराना में फरियादिया की बाखर के पास सार्वजनिक स्थान पर फरियादिया मेघा परमार की कुल्हाड़ी से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की। अतः आरोपी **जितेन्द्र** के विरुद्ध धारा 324 भा0द0वि0 का आरोप प्रमाणित न होने से अभियुक्त को उक्त आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

11— अभियुक्त द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

12— प्रकरण में जप्तशुदा एक लोहे की कुल्हाड़ी जिसमें लकड़ी का बेंटा लगा हुआ है मूल्यहीन होने अपील अवधि पश्चात नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलिय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।

13— अभियुक्त के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,दिनांकित मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।
कर घोषित किया गया ।

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0